सप्तदश

बिहार विधान सभा

अष्टम सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-4

वृहस्पतिवार, तिथि 02 चैत्र, 1945 (श०) / 23 मार्च, 2023 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 06

(1)	कृषि विभाग - -	01
(2)	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग - -	01
(3)	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग - -	01
(4)	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग - -	02
(5)	नगर विकास एवं आवास विभाग - -	01
	कुल योग --	06

कार्रवाई करना

'क'-54. श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह (क्षेत्र संख्या-221 नवीनगर)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 8 फरवरी, 2023 के अंक में छपी शीर्षक "सूबे में महज 96 पैकेज्ड वाटर प्लांट के पास लाईसेंस चल रहे हैं 600 से अधिक प्लांट" के आलोक में क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में बोतलबंद पानी के लगभग 600 से अधिक प्लांट चल रहे हैं, जिनमें से मात्र 96 को ही भारतीय मानक ब्यूरो का लाईसेंस प्राप्त है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्लांटों द्वारा मानक का पालन नहीं करने और अनुज्ञप्ति नहीं रहने के कारण राजस्व की हानि के साथ ही आमजनों के स्वास्थ्य पर भी दुष्प्रभाव पड़ रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त प्लांटों को मानक का पालन कराते हुये कौन-सी कार्रवाई कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मासिक आय वृद्धि करना

65. डॉ0 रामानुज प्रसाद (क्षेत्र संख्या-122 सोनपुर)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 28 जनवरी, 2023 को प्रकाशित शीर्षक "बिहार के किसान परिवारों की औसत मासिक आय 7,542 रुपये, देश में हम 27 राज्यों से पीछे" के आलोक में क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भारतीय किसानों की प्रति परिवार औसत मासिक आय 10,218 रुपया है, जबकि प्रदेश के किसान परिवारों की औसत मासिक आय मात्र 7,542 रुपया है तथा मासिक आय मामले में 28वें पायदान पर है, यदि हाँ, तो क्या सरकार प्रदेश के किसान परिवारों की मासिक आय वृद्धि हेतु कौन-सा कदम उठाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

डाटाबेस तैयार करना

66. श्री नीतीश मिश्रा (क्षेत्र संख्या-38 झंझारपुर)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 27 दिसम्बर, 2022 के अंक में प्रकाशित शीर्षक "राज्य के सभी तालाबों, जलाशय, नदियों, मन एवं चौर का डाटाबेस होगा तैयार" के आलोक में क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि विभाग ने राज्य के सभी जलस्रोतों, तालाब, जलाशय, नदियों, मन एवं चौर आदि का डाटाबेस तैयार कराने का निर्णय छः माह पूर्व लिया गया है तथा इस कार्य हेतु तत्काल 5 करोड़ 20 लाख रुपये की स्वीकृति दी है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक राज्य के जिलों में डाटाबेस तैयार कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दाखिल-खारिज की जाँच

67. श्री अरूण शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-33 खजौली)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 14 दिसम्बर, 2022 को प्रकाशित शीर्षक "सुस्ती दाखिल-खारिज के एक-तिहाई आवेदन हो जाते है रद्द" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि विगत पाँच वर्षों में 93 लाख दाखिल-खारिज के आवेदन अंचल कार्यालयों को प्राप्त हुआ, जिनमें से 49 लाख मामलों का ही दाखिल-खारिज हुआ शेष 33 लाख आवेदन को खारिज कर दिया गया तथा 11 लाख से अधिक दाखिल-खारिज के मामले आज भी विभिन्न अंचलों में लम्बित पड़े हुये हैं ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार लम्बित पड़े दाखिल-खारिज के मामले को निपटारा करने के साथ ही रद्द किये गये दाखिल-खारिज के मामले को पुनः जाँचोपरान्त निपटारा कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नोट--'क'-खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में स्थानान्तरित एवं दिनांक 16 मार्च, 2023 को सदन द्वारा स्थगित ।

सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाना

68. श्री अजीत शर्मा (क्षेत्र संख्या-156 भागलपुर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सरकार ने हर चौक-चौराहे पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाकर उसकी सेन्ट्रल मॉनिटरिंग करने का निर्णय दो वर्ष पूर्व लिया था, परंतु अभीतक वह क्रियान्वित नहीं हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार राज्य में प्रत्येक चौक-चौराहे पर कबतक सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाकर उसकी मॉनिटरिंग जिला मुख्यालय में कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जाँच कराना

69. श्री अजय कुमार (क्षेत्र संख्या-138 विभूतिपुर)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 4 फरवरी, 2023 के अंक में प्रकाशित शीर्षक "राज्य के 10 जिलों में 19 जगह पानी में यूरेनियम" के आलोक में क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, वैशाली (हाजीपुर), भागलपुर, नालन्दा, गोपालगंज, कटिहार, मधेपुरा, नवादा, पूर्णियाँ, सीवान आदि जिलों में यूरेनियम की मात्रा खतरनाक स्तर 30 पी0पी0बी0 से अधिक पायी गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पानी में मानक से अधिक यूरेनियम मिलने से किडनी, हार्ट की समस्या, ब्लड प्रेसर एवं कैंसर होने खतरा बढ़ गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के सभी जिलों में पानी में यूरेनियम की मात्रा की जाँच कराने एवं स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 23 मार्च, 2023 (ई0) ।

पवन कुमार पाण्डेय,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।